राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

टैक्सी वाहन व मालवाहक वाहनों की आपूर्ति हेतु तृतीय निविदा

राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। जिसमे आवागमन हेतु राज्य कार्यालय में लगभग 7–8 वाहन तथा विभाग के अंतर्गत अन्य संचालनालयो में अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु लगभग 15 से 20 वाहन की आवश्यकता होती है। सभी वाहनों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित दर अनुसार ही वाहन किराये पर ली जाती है। जिसका वार्षिक संभावित व्यय लगभग 60–70 लाख रुपये होता है। अतः निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर निविदा प्रक्रिया में भाग लेवें।

साथ ही संचालनालयो के अंतर्गत राज्य कार्यालय से समय–समय पर सामग्री, रजिस्टर, पोस्टर, दवाई एवं उपकरण एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुचाने हेतु वाहनों की आवश्कता होती है ।

इन सभी आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इच्छुक फर्म से निम्न बिंदु आधार पर निविदा आमत्रित की जाती है ।

राज्य कार्यालय तथा विभाग के अंतर्गत अन्य संचालनालयो में अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु टैक्सी वाहन किराये पर लिये जाने हेतुः–

A- टैक्सी वाहन हेतु तकनीकी मूल्यांकन न्यूनतम अर्हताः–

1. निविदाकर्ता फर्म के पास न्यूनतम वाहन संख्या(टैक्सी परमिटयुक्त) 10 होनी चाहिए, जिसमे से न्यूनतम 03 वाहन निविदाकर्ता, फर्म, कंपनी, संस्था के नाम से पंजीकृत होना चाहिए। (परिवहन विभाग द्वारा जारी जीवित वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
2. निविदाकर्ता फर्म की एक शाखा रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित हो। (कार्यालय के नाम से बैंक पास बुक, बिजली बिल इत्यादि की छायाप्रति संलग्न करें।)
3. निविदाकर्ता का GST पंजीयन होना चाहिए।**(यदि संबंधित नियम के दायरे में आते हों।)** तो कर विभाग द्वारा जारी किये गए GST पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. निविदाकर्ता का पंजीयन छ. ग. शासन के परिवहन विभाग में होना चाहिए। (परिवहन विभाग द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
5. निविदाकर्ता फर्म की विद्यमानता(Existence) निविदा दिनांक के पूर्व से न्यूनतम 03 वर्ष होना चाहिए। (नगर निगम/कंपनी/फर्म रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. संस्था में वाहन चालकों की न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए, जिनका वैध वाहन चालक अनुज्ञा होनी चाहिए। (अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. कार, जीप इत्यादि किराये के वाहन परिचालन सम्बन्धी न्यूनतम वार्षिक औसत सकल प्राप्ति रु. 50 लाख होना चाहिए। (गत 3 वित्तीय वर्ष का औसत) [CA सर्टिफिकेट/ ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।]
8. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल अंतर्गत वाहन परिचालन करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। [संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्यादेश अथवा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें]